

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं०एफ० 19(04)/परि० वि०/सचि० शा०/2018/359

दिनांक- 8-8-18

सेवा में,

उप- सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० - 217

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100-100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,


VINAY JAIN

Public Transport Officer
(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि०) - 5/9 अण्डर हिल - 110054

विभाग का नाम - परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता - 5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली-54
अतारांकित प्रश्न संख्या - 217
प्रश्नकर्त्ता का नाम - श्री विजेन्द्र गुप्ता
दिनांक - 09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने टैक्सियों और स्कूटरों के ड्राइवरों के लिए कमर्शियल लाइसेंस समाप्त कर दिया है;	जी हाँ।
ख)	उपरोक्त को लेकर दिल्ली सरकार की क्या नीति है;	
ग)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने उपरोक्त वाहनों के चालकों के लिए प्रति तीन वर्ष बाद लाइसेंस का नवीकरण करवाना अनिवार्य किया हुआ है;	इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अनुपालन किया जाता है।
घ)	यदि हां, तो ये किस नियम के अंतर्गत किया गया है;	
ङ)	ऑटो-रिक्शा में जीपीएस लगाने को लेकर सरकार की क्या नीति है;	ऑटो-रिक्शा में जीपीएस लगाना अनिवार्य है।
च)	सरकार इसको किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि जीपीएस को लेकर अब ऑटो-रिक्शा चालकों का शोषण न हो; और	परिवहन विभाग ने एम टी एन एल और आईडीया को ठीक मूल्य पर सिम बेचने के लिए अधिकृत किया है। ताकि GPS Activation ठीक और उचित मूल्य पर हो सके और चालकों को परेशानी न हो।
छ)	क्या यह सत्य है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन को पेमेन्ट पोर्टल से लिंक करने की आवश्यकता के कारण पेंशन धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?	सम्बन्धित विभाग "समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही सम्बन्धित विधायक को प्रेषित कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर



(वर्षा जोशी), IAS
Secretary (Transport), Commissioner (T)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi